परिशिष्ट – 1

103 (138)

झारखंड सरकार
परिवहन विभाग

संकल्प

विषय : झारखंड राज्य सड़क सुरक्षा नीति-2016 के सूत्रीकरण के संबंध में।

प्रस्तावना

झारखंड राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि के कारण उसके घातक परिणामों से सरकार अत्यन्त चिन्तित है। विदित हो कि सड़क दुर्घटनाएं एक सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा बन गयी है एवं इसके पीड़ित मुख्य रुप से समाज के कमजोर वर्गों से है।

सड़क दुर्घटनाओं से न सिर्फ सड़क का उपयोग करने वाले बल्कि वाहन चलाने वाले भी प्रभावित होते है। फलस्वरुप सड़क सुरक्षा के संबंध में एक पूर्ण प्रस्ताव की आवश्यकता है। राज्य सरकार का यह मानना है कि सड़क दुर्घटनाओं एवं उसके कारण आये चोटों और उनके घातक परिणामों में कमी राज्य एवं केन्द्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी एवं प्रयासों से ही संभव है।

उपर्युक्त के आलोक में राज्य सरकार सड़क दुर्घटनाएँ न हो एवं यदि दुर्घटना घट जाती है तो उसके घातक परिणामों में कमी लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस हेतु सरकार निम्न नीति निर्धारित करती है –

नीति

1. सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरुकता

राज्य सरकार सड़क सुरक्षा में महत्वपूर्ण एवं गुणात्मक सुधार के लिए सड़क सुरक्षा की समस्याओं, उसके सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव के बारे में नागरिकों में जागरुकता को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी।

राज्य सरकार सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न हितकारकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को सुरक्षा के संबंध में जागरुक करेगा।

2. संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत बनाना

राज्य सरकार सड़क सुरक्षा के कार्यान्वयन एवं उसमें आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी संस्थागत व्यवस्था की स्थापना करते हुए सड़क सुरक्षा कोष (Road Safety Fund) की स्थापना करेगी।

3. सुरक्षित सड़क संरचना स्थापित करना

राज्य सरकार सड़को के सुरक्षित डिजाइन तैयार करने के उपायों को बढ़ावा देगी। सरकार सुनिश्चित करेगी कि सड़क डिजाईन में उपलब्ध सबसे अच्छे तरीको

एवं उपायो को इसमें शामिल किया जाय। सरकार सड़क दुर्घटना में कमी लाने लिए सड़को के Black Spot की सर्वेक्षण कर उन्हे दूर करने का उपाय करेगी।

4. सुरक्षित वाहन

राज्य सरकार पुराने वाहनों के परिचालन पर प्रभावी रोक लगायेगी एवं वाहनों से होने वाले प्रदूषण के स्तर को मानक स्तर तक लाने के लिए उनकी लगातार जाँच एवं प्रभावी कदम उठायेगी।

5. सुरक्षित चालक

राज्य सरकार चालको के कौशल में सुधार हेतु चालक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करेगी एवं निजी क्षेत्र में चालक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी। साथ ही इसमें सुधार के लिए चालक अनुज्ञप्ति के लिए गुणात्मक परीक्षण एवं कौशल मूल्यांकन के लिए उपाय करेगी।

6. सड़क उपयोगकर्त्ताओं की सुरक्षा एवं उनके प्रति संवेदनशीलता

सभी प्रकार की सड़को (ग्रामीण एवं शहरी) के डिजाईन एवं निर्माण में गैर मोटराइज्ड एवं शारीरिक रुप से नि:शक्त व्यक्ति सुविधापूर्वक एवं सुरक्षित यात्रा कर सके, इसका उपाय किया जायेगा।

7. सड़क सुरक्षा की शिक्षा एवं प्रशिक्षण

राज्य सरकार शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रचार अभियानों के माध्यम से सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरुकता पैदा करने के लिए प्रभावी कदम उठायेगी। स्कूल एवं कॉलेजों के पाठयक्रम में सड़क सुरक्षा को सम्मिलित किया जायेगा।

राज्य सरकार सड़क सुरक्षा के प्रचार कार्यक्रमों में भाग लेने एवं उसके कार्यान्वयन में विशेषज्ञों एवं गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करेगी।

8. यातायात कानूनों का प्रवर्तन

राज्य सरकार यातायात प्रवर्तन की गुणवत्ता में सुधार लायेगी और केन्द्र सरकार की पहल में सकारात्मक सहयोग देगी।

राज्य सरकार प्रवर्तन ऐजेंसियों को पर्याप्त रुप से प्रशिक्षित एवं सुसज्जित कर उनके कार्यो में गुणात्मक एवं मात्रात्मक सुधार के लिए पर्याप्त एवं उचित कदम उठायेगी।

9. सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितो को आपातकालीन चिकित्सा सहायता

राज्य सरकार सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ित व्यक्तियों के इलाज के लिए प्रभावी ट्रामा केयर एवं स्वास्थ्य प्रावधान का लाभ सुनिश्चित करने के लिए पूरी गंभीरता से प्रयास करेगी। ऐसी सारी सेवाओं यथा - फर्स्ट एड, एम्बुलेंस आदि बचाव अभियानों सहित उचित अस्पतालों की सूची परिवहन विभाग की वेब साईट पर प्रदर्शित करेगी।

(401) (136)

10 . सड़क सुरक्षा सूचना डाटाबेस की स्थापना

राज्य स्तर पर सड़क सुरक्षा सूचना तंत्र स्थापित किया जायेगा। सड़क दुर्घटनाओं से सम्बन्धित डाटा का संग्रहण, विश्लेषण तथा सुरक्षा के उपायों के लिए प्रयास किया जायेगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है इस संकल्प की प्रति सर्व साधारण की जानकारी हेतु झारखंड राज्य के राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति महालेखाकार, झारखंड राँची को तथा सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से।

र. कुमार 18/3/16

(रतन कुमार)

सचिव

परिवहन विभाग

ज्ञापांक: परि०वि०(स०सु०)-143/2015- 460 राँची, दिनांक 18-03-16

प्रतिलिपि : ई-गजट नोडल पदाधिकारी, परिवहन विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

र. कुमार 18/3/16

सचिव

परिवहन विभाग

ज्ञापांक: परि०वि०(स०सु०)-143/2015- 460 राँची, दिनांक 18-03-16

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग/परिवहन विभाग/लेखा-शाखा, वित्त विभाग/परिवहन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

र. कुमार 18/3/16

सचिव

परिवहन विभाग

ज्ञापांक: परि०वि०(स०सु०)-143/2015- 460 राँची, दिनांक 18-03-16

प्रतिलिपि : महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के सचिव/वित्त सचिव/महालेखाकार, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

र. कुमार 18/3/16

सचिव

परिवहन विभाग

परिशिष्ट - 2 (135)

झारखण्ड सरकार

परिवहन विभाग

।। अधिसूचना ।।

E-Mail / Pay

अधिसूचना संख्या- परि0वि0(स.सु.)-144/2015 1135 /राँची, दिनांक- 31/12/2015

Supreme Court Committee on Road Safety द्वारा दिये गये निदेश तथा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 215 के प्रावधानों के तहत् राज्य में एक राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् एवं जिला सड़क सुरक्षा समिति का गठन किया जाना आवश्यक है।

सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने, सड़क सुरक्षा के मुद्दे से निपटने के लिए सम्यक् दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी हितधारकों को इस संबंध में लक्षित उद्देश्य को प्राप्त किया जाना शामिल है।

उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् एवं जिला सड़क सुरक्षा समिति का गठन निम्न रूपेण किया जा रहा है :-

राज्य सड़क सुरक्षा परिषद्

1.	मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार	-	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, गृह, आपदा एवं मंत्रिमण्डल (निगरानी) विभाग	-	सदस्य
3.	प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग	-	सदस्य
4.	प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	-	सदस्य
5.	प्रधान सचिव/सचिव, वित्त-सह-योजना विभाग	-	सदस्य
6.	प्रधान सचिव/सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग	-	सदस्य
7.	प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग	-	सदस्य
8.	प्रधान सचिव/सचिव, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	-	सदस्य
9.	प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग	-	सदस्य
10.	महानिदेशक-सह- पुलिस महानिरीक्षक	-	सदस्य
11.	प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, सिविल एवं इन्वॉयरमेन्टल इंजिनियरिंग, बी.आई.टी. मेसरा, राँची	-	सदस्य
12.	निदेशक, आई.आई.एम., राँची		सदस्य
13.	मेयर, नगर निगम, राँची	-	सदस्य
14.	अध्यक्ष, झारखण्ड बस ऑनर्स एशोसिएशन, रांची	-	सदस्य
15.	अध्यक्ष, ट्रेड एण्ड इण्डस्ट्रीज एसोशिएशन, राँची	-	सदस्य
16.	राज्य परिवहन आयुक्त	-	सदस्य सचिव

जिला सड़क सुरक्षा समिति

1.	उपायुक्त	–	अध्यक्ष
2.	पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक (यातायात)	–	सदस्य
3.	वन प्रमण्डल पदाधिकारी	–	सदस्य
4.	असैनिक शल्य चिकित्सक	–	सदस्य
5.	उप विकास आयुक्त	–	सदस्य
6.	आरक्षी उपाधीक्षक, यातायात	–	सदस्य
7.	कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण	–	सदस्य
8.	नगर आयुक्त, नगर निगम/प्रशासक, नगरपालिका	–	सदस्य
9.	सहायक उत्पाद आयुक्त, उत्पाद एवं मद्य निषेध	–	सदस्य
10.	जिला शिक्षा पदाधिकारी	–	सदस्य
11.	जिला के सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	–	सदस्य
12.	अध्यक्ष, जिला बस/ट्रक ऑनर्स एशोसिऐशन	–	सदस्य
13.	दो गैर-सरकारी संस्थाओं के एक-एक प्रतिनिधि जो सड़क सुरक्षा संबंधी कार्य करते हो या अभिरूचि रखते हो (उपायुक्त द्वारा मनोनीत)	–	सदस्य
14.	जिला परिवहन पदाधिकारी	–	सदस्य सचिव

कृत्य :-

1. राज्य सड़क सुरक्षा नीति के कार्यान्वयन की निगरानी ।
2. सड़क सुरक्षा की देखरेख एवं सड़क सुरक्षा हेतु अल्कोमीटर गति अनुमान, इंटरसेप्टरस इत्यादि यंत्र, यातायात उल्लंघन करने वालो का पता लगाने के लिए सी०सी०टी०वी० कैमरे आदि की व्यवस्था में की गयी पहल की समीक्षा एवं अनुश्रवण ।
3. राजमार्गो पर दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु यातायात सुरक्षा तकनीकों को अंगीकृत करने तथा राजमार्गो पर गश्ती को मजबूत बनाने संबंधी व्यवस्था का अनुश्रवण ।
4. सड़क के किनारे लगे होर्डिंग एवं अनावश्यक वस्तुओं जो चालक को वाहन चालन में बाधा डालती है या विचलित करती है, को हटाने हेतु उठाये जाने वाले कदम का अनुश्रवण ।
5. राष्ट्रीय राजमार्गो एवं राज्य उच्च पथ पर सड़क दुर्घटना से संबंधित 'Black Spots' के पहचान एवं उसके निराकरण के कार्यो का अनुश्रवण करना।

6. चालको के कौशल की जांच एवं चालक अनुज्ञप्ति निर्गमन के लिए सेन्सर आधारित कम्प्यूटरीकृत ट्रैक की व्यवस्था एवं अन्य उपायों के संबंध में नीति निदेश देना।

7. वर्ष 2020 तक वर्त्तमान दुर्घटनाओं से 50% कमी लाने हेतु रोड मैप का निर्माण का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण।

8. भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सड़क सुरक्षा से संबंधित निर्गत अनुदेशों का अनुपालन की समीक्षा एवं उसका पर्यवेक्षण।

9. राज्य में सड़क सुरक्षा प्रभावी बनाने हेतु किये जाने वाले उपायों के लिए दिशा निदेश देना।

बैठक :-

राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् एवं जिला सड़क सुरक्षा समिति की वर्ष में न्यूनतम दो बार बैठक का आयोजन होगा।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभावी होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से।

28/12/15
सरकार के सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक- परि0वि0(स.सु.)-144/2015 1435 /राँची, दिनांक- 31/12/15

प्रतिलिपि :- नॉडल पदाधिकारी, ई-गजट, परिवहन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/12/15
सरकार के सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक- परि0वि0(स.सु.)-144/2015 1435 /राँची, दिनांक- 31/12/15

प्रतिलिपि :- मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार/सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्त/पुलिस महानिदेशक/सभी उपायुक्त/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी आरक्षी अधीक्षक/उपाधीक्षक, यातायात/सभी उप परिवहन आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सभी जिला के सिविल सर्जन/सभी शिक्षा

पदाधिकारी/सभी उत्पाद अधीक्षक/नगर आयुक्त/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी नगर निगम, नगरपालिका, अधिसूचित क्षेत्र/सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक- परि0वि0(स.सु.)-144/2015 1435 /राँची, दिनांक- 31/12/15

प्रतिलिपि :- संयुक्त परिवहन आयुक्त/परिवहन आयुक्त के सचिव/अवर सचिव, राज्य सूचना आयोग, झारखण्ड, राँची/सचिव के आप्त सचिव, परिवहन विभाग/सभी अवर सचिव, परिवहन विभाग/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, परिवहन विभाग/सभी सहायक, परिवहन विभाग एवं सभी कर्मचारी परिवहन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव
परिवहन विभाग।

परिशिष्ट-4

परिवहन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के लिए योजना एवं गैर योजना विवरणी:-

	बजट मुख्य शीर्ष एवं उपशीर्ष	आय व्ययक अनुमान 2015—16	आय व्ययक पुनरीक्षित (अनु.) 2015—16	आय व्ययक बजट उपबंध 2016—17
(1)	योजना 5055 सड़क परिवहन पर पूंजी परिव्यय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश/माँग सं0 47 उपशीर्ष 0101 (परिवहन निदेशालय का सुदृढ़ीकरण)			
(i)	भवनों का निर्माण	20000000	20000000	10000000
(ii)	अस्थायी चेक पोस्ट का निर्माण	10000000	10000000	12000000
(iii)	मशीन एवं उपकरण	20000000	20000000	20000000
(iv)	प्रिंटिंग फार्म/चालान/टोकन	1000000	1000000	5000000
(v)	सड़क सुरक्षा एवं यातायात जागरूकता, प्रशिक्षण एवं [illegible] शिविर	2000000	2000000	10000000
(vi)	परिवहन तंत्र को यातायात नियम एवं उपकरण	3500000	3500000	0
(vii)	मोटर प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	5000000	5000000	100000
	नई योजना-5055-सड़क परिवहन पर पूंजी परिव्यय			
(viii)	स्मार्ट कार्ड	10000000	10000000	100000
(ix)	प्रोजेक्ट मोनिटरिंग यूनिट (पी.एम.यू.) ट्रांसपोर्ट	20000000	20000000	20000000
(x)	सड़क सुरक्षा (निधि)	00	00	100000000
	योग	**91500000**	**91500000**	**177200000**
(2)	3075 अन्य परिवहन सेवाएँ (रेलवे)	750000000	750000000	1272700000
	गोड्डा-हँसडीहा रेल लिंक	148500000	148500000	50000000
	नई योजना रेलवे परियोजना के लिए विशेष प्रयोजन वाहन (एस.पी.वी.) में प्रारंभिक शेयर	10000000	10000000	100000
	कुल योग योजना - 5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय एवं 3075 रेलवे परियोजनाओं पर	**908500000**	**908500000**	**1322800000**
	कुल योग योजना	**1000000000**	**1000000000**	**1500000000**
(3)	गैर योजना 2041-वाहन कर लघु शीर्ष -			
	(i) 001 निदेशन और प्रशासन	13645000	13645000	13703000
	(ii) 101 संग्रह प्रभार उप शीर्ष 01	17001000	17001000	16794000
	उप शीर्ष- 02	99864000	99864000	85843000
	(iii) 102 मोटर वाहनों का निरीक्षण, उपशीर्ष -01	13459000	13459000	14248000
	योग	**143969000**	**143969000**	**130588000**
(4)	मुख्य शीर्ष 3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएँ-090 सचिवालय, माँग सं0 - 47, 14- परिवहन विभाग	19415000	19415000	18887000
	योग	**19415000**	**19415000**	**18887000**
(5)	मुख्य शीर्ष 3055 सड़क परिवहन लघु शीर्ष 190- सार्वजनीक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में सहायता उप शीर्ष-01- राज्य पथ परिवहन निगम, झारखण्ड को सहायता अनुदान विस्तृत शीर्ष 06 अनुदान 46 सहायता अनुदान	1000000	1000000	1000000
	योग	**1000000**	**1000000**	**1000000**
	कुल योग (गैर योजना)	**164384000**	**164384000**	**150475000**
	कुल योग - (योजना + गैर योजना)	**1164384000**	**1164384000**	**1650475000**

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Transport Department (Transport Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 मे व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/2016/16/AA

दिनांक - 29-Aug-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 47 505500190220323 5055 - सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 00 - सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 190 - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश 22 - सड़क सुरक्षा निधि 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	55849	PRJPOL001 RAJ KUMAR MALLICK I.G.OF POLICE PROVISION	24,416,000.00 रुपये दो करोड चवालीस लाख सोलह हजा
2	P 47 505500796220323 5055 - सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 00 - सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 22 - सड़क सुरक्षा निधि 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	55848	PRJPOL001 RAJ KUMAR MALLICK I.G.OF POLICE PROVISION	29,827,200.00 रुपये दो करोड अठानवे लाख सत्ताइस हजार दो सौ

योग: 54,243,200.00

क्रमिक योग: रुपये पाँच करोड बयालीस लाख तीरयालीस हजार दो सौ

(K K KHANDELWAL)

PRINCIPAL SECRETARY

172.16.20.1

Run Date: 29/8/2016

झारखण्ड सरकार

परिवहन विभाग

पत्रांक-परि0वि0-आ०(योजना)-01/2016 15/ ....राँची, दिनांक 29/8/16.......

प्रेषक,

प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग ।

सेवा में,

पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन),

झारखण्ड, राँची ।

विषयः-वित्तीय वर्ष 2016-2017 में राज्य योजना मांग संख्या-47- परिवहन विभाग मुख्य शीर्ष-5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजनान्तर्गत सड़क सुरक्षा निधि नई योजना मद में व्यय हेतु रू0 **2,98,27,200/-(दो करोड़ अंठानबें लाख सताईस हजार दो सौ)** रूपये मात्र का आवंटन के संबंध में । (विपत्र कोड-47P505500796220323)

महाशय,

उपरोक्त राशि योजना मांग संख्या-47-परिवहन विभाग मुख्य शीर्ष-5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना-उप शीर्ष-22-सड़क सुरक्षा निधि, विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय, 23-आपूर्ति एवं सामग्री के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

2. झारखण्ड राज्य में सड़क सुरक्षा तथा राज्यमार्गो पर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए झारखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा नीति, 2016 का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद तथा जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति का गठन किया गया है। इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उपायों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा । सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु परिवहन तंत्र के लिए आवश्यक आधुनिक उपकरणो/सामग्रियों यथा-Alcohol Meter, Speed Camera Vehicles and Tab/Equipments आदि के क्रय हेतु महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-802/टी0एस0 दिनांक-09.08.2016 द्वारा प्राप्त मांग पत्र के आलोक में आवंटित किया जाता है।

3. उक्त राशि की स्वीकृति वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561(वि0) दिनांक 17.04.98 के उपबंधो के अधीन दी गई है तथा राशि की निकासी उपरोक्त परिपत्र के कण्डिका-15 के अधीन की जायगी ।

4. उक्त राशि की स्वीकृति मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या-301 दिनांक 11.03.2015 के द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन की जा रही है।

5. पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन) उपर्युक्त उपकरणों का क्रय कर सभी जिलों में आपूर्ति करेंगे ।

6. योजना पूर्ण होने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा ।

7. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन), झारखण्ड, राँची होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी राज्य परिवहन आयुक्त, झारखण्ड होंगे। राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची से की जायगी ।

8. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-93/स्वी0 दिनांक-04.07.2016 के आलोक में यह राशि आवंटित की जा रही है।

प्रधान सचिव

परिवहन विभाग

ज्ञापांक - परि0वि0 -आ० (योजना)-01/2016 ......15/आ0......./राँची, दिनांक 29/8/16

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री परिवहन के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/परिवहन आयुक्त/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची/उप सचिव योजना-सह-वित्त विभाग/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, परिवहन विभाग-सह-उप सचिव, परिवहन विभाग/अवर सचिव, परिवहन विभाग/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी पुलिस अधिक्षक, झारखण्ड/सभी उप परिवहन आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव
परिवहन विभाग

झारखण्ड सरकार

परिवहन विभाग

पत्रांक – परि0वि0 –आ०(योजना)-01/2016 ...16/आ0......./राँची, दिनांक 29/8/16..........

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग ।

सेवा में,

पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन),
झारखण्ड, राँची ।

विषय:-वित्तीय वर्ष 2016-2017 में राज्य योजना मांग संख्या -47-परिवहन विभाग मुख्य शीर्ष-5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत अन्य क्षेत्रीय उप योजनान्तर्गत सड़क सुरक्षा निधि नई योजना मद में व्यय हेतु रू0 **2,44,16,000/- (दो करोड़ चौवालीस लाख सोलह हजार)** रूपये मात्र का आवंटन के संबंध में । **(विपत्र कोड**-47P505500190220323)

महाशय,

उपरोक्त राशि योजना मांग संख्या - 47 -परिवहन विभाग मुख्य शीर्ष 5055 - सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय लघु शीर्ष-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश उपशीर्ष-22- सड़क सुरक्षा निधि, विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय, 23-आपूर्ति एवं सामग्री के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

2. झारखण्ड राज्य में सड़क सुरक्षा तथा राज्यमार्गो पर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए झारखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा नीति, 2016 का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद तथा जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति का गठन किया गया है। इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उपायों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा । सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु परिवहन तंत्र के लिए आवश्यक आधुनिक उपकरणो/सामग्रियों यथा-Alcohol Meter, Speed Camera Vehicles and Tab/Equipments आदि के क्रय हेतु महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-802/टी०एस० दिनांक-09.08.2016 द्वारा प्राप्त मांग पत्र के आलोक में आवंटित किया जाता है।

3. उक्त राशि की स्वीकृति वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561(बि0) दिनांक 17.04.98 के उपबंधो के अधीन दी गई है तथा राशि की निकासी उपरोक्त परिपत्र के कण्डिका-15 के अधीन की जायगी ।

4. उक्त राशि की स्वीकृति मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या-301 दिनांक 11.03.2015 के द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन की जा रही है।

5. पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन) उपर्युक्त उपकरणों का क्रय कर सभी जिलों में आपूर्ति करेंगे ।

6. योजना पूर्ण होने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा ।

7. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन), झारखण्ड, राँची होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी राज्य परिवहन आयुक्त, झारखण्ड होंगे। राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची से की जायगी ।

8. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-92/स्वी० दिनांक-04.07.2016 के आलोक में यह राशि आवंटित की जा रही है।

26/8/16

प्रधान सचिव
परिवहन विभाग

ज्ञापांक - परि0वि0 -आ०(योजना)-01/2016 ......16/आप......................./राँची, दिनांक 29/8/16

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री परिवहन के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/परिवहन आयुक्त/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची/उप सचिव योजना-सह-वित्त विभाग/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, परिवहन विभाग-सह-उप सचिव, परिवहन विभाग/अवर सचिव, परिवहन विभाग/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी पुलिस अधिक्षक, झारखण्ड/सभी उप परिवहन आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव
परिवहन विभाग